न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./53/2025/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. उदाराम पुत्र रूपाराम, जाति जाट, निवासी खारा महेचान, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।	1. लाखाराम पुत्र फुआराम 2. वीराराम पुत्र जोराराम 3. जेरामाराम पुत्र जोराराम 4. कानाराम पुत्र जोराराम 5. अणसीदेवी पत्नी लाखाराम 6. पार्वतीदेवी पत्नी राजूराम 7. राजूराम पुत्र फुआराम 8. रावताराम पुत्र कानाराम, जाति जाट, निवासी खारा महेचान, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। 9. उर्मिलादेवी पत्नी राजूराम, जाति सोनी, निवासी खारा महेचान, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। 10. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा, सिणधरी। 11. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सिणधरी 12. शाखा प्रबंधक, एक्सीस बैंक, शाखा बालोतरा 13. तहसीलदार, सिणधरी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2025 बउनबान लाखाराम वगैरह बनाम राजूराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2025 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रतनाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 9 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुप्रस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांकः–18.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा खारा महेचान, पटवार क्षैत्र चाडों की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 583 रकबा 9.7970 हेक्टेयर, खसरा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 437 रकबा 22.0291 हेक्टेयर, खसरा संख्या 490 रकवा 0.0728 हेक्टेयर, खसरा संख्या 558 रकबा 1.7394 हेक्टेयर, खसरा संख्या 582 रकवा 0.0405 हेक्टेयर एवं मौजा भाम्भुओं की ढाणी, पटवार क्षैत्र चाड़ों की ढाणी, तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 763 रकबा 1.9335 हेक्टेयर का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक वंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत वंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 06 (वादीगण) अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काविल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा खारा महेचान, पटवार क्षैत्र चाडों की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 583 रकबा 9.7970 हेक्टेयर, खसरा संख्या 437 रकबा 22.0291 हेक्टेयर, खसरा संख्या 490 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, खसरा संख्या 558 रकबा 1.7394 हेक्टेयर, खसरा संख्या 582 रकबा 0.0405 हेक्टेयर एवं मौजा भाम्भुओं की ढाणी, पटवार क्षैत्र चाड़ों की ढाणी, तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 763 रकबा 1.9335 हेक्टेयर का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है।, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर बाद तामील अपीलांट द्वारा वकील नियुक्त किया गया था। जिसके द्वारा समुचित रूप से पैरवी नहीं की गई। ना ही अपीलांट के वकील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब दावा पेश किया गया था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब व साक्ष्य के अवसर बंद कर दिया गया। साक्ष्य व जबाव बंद करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। किसी अधिवक्ता के गलती की सजा पक्षकारान को नहीं दी जा सकती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को वकील की गलती की सजा प्रदान की गई है। वकील की गलती की वजह से अपीलांट को अपने हक के न्याय के लिए महरूम होना पड़ा है। फिर भी अपीलांट के विरूद्ध विधि के विपरीत जाकर एकतरफा कार्यवाही

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रस्तावित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। वादी (रेस्पोडेन्ट) ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुऐ तथा बिना साक्ष्य पेश किये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलांट की गलत तरीके से तामील मानते हुए अपीलांधीन निर्णय एकतरफा पारित करवाया। उक्त अपीलांधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलांधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी (अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये–

1- 2006-07(SUPP.)RRT 332
2- 2014(2)RRT 1034
3- 2024(1)RRT 276
4- 2011-12(Supp.)RRT 215

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आरांजी भूमि मौजा खारा महेचान, पटवार क्षैत्र चाडों की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 583 रकबा 9.7970 हेक्टेयर, खसरा संख्या 437 रकबा 22.0291 हेक्टेयर, खसरा संख्या 490 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, खसरा संख्या 558 रकबा 1.7394 हेक्टेयर, खसरा संख्या 582 रकबा 0.0405 हेक्टेयर एवं मौजा भाम्भुओं की ढाणी, पटवार क्षैत्र चाड़ों की ढाणी, तहसील

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सिणधरी के खसरा संख्या 763 रकबा 1.9335 हेक्टेयर का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 06/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा–काश्तशुदा हैं। रेस्पोडेन्ट्स (वादी) को अपनी हक–हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैंक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलियें सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। साथ ही हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। और ना ही हिस्से को लेकर अपीलांट द्वारा कोई प्रश्न हाजा न्यायालय में किया गया है। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपीलांट्स को सम्मन प्रेषित किये गये थे जिसकी बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी जरिये वकालतनामा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की हस्तगत पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा वकालतनामा पेश करने के बाद पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया और ना ही वकील उपस्थित आया। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलाटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट्स/प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये वकालतनामा के उपस्थित हुआ है। उसके बाद वकील को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद अवसर बंद किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। जिस आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा किये कथनों पर विश्वास किया जाता है तो फिर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांट द्वारा उपस्थित नहीं आने के संबंध में उक्त कथनों का कोई सार नहीं है। अपीलांट को छोड़कर समस्त वादी एवं प्रतिवादी अपीलाधीन निर्णय व

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्राथमिक डिक्री से संतुष्ट हैं। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद जाहिर नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद एवं अपील के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया जिसके अनुसार अपीलांट जोत का बंटवारा चाहता हो। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सद्भावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय की पालना में विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया प्रतीत होता है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील अपीलांट की सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2025 बउनवान लाखाराम वगैरह बनाम राजूराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2025 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

18/9/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर